कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना

1204. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय अंतिम रूप से कब लिया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस प्रयोजनार्थ नयी अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो यह नीति कब बनायी गयी और इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केवल 48 तेल क्षेत्रों में ही इस समय अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां। अन्वेषण ब्लाकों के लिए बोलियों के आमंत्रण के साथ निजी प्रतिभागिता का वर्तमान चरण 1991 में आरंभ हुआ। इसलिए छोटे और मध्यम आकार के खोजे गए क्षेत्र भी 1992 और 1993 में निजी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों द्वारा विकास के लिए प्रस्तावित किए गए थे।

(ग) से (ङ) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति भारत सरकार द्वारा मार्च, 97 में अनुमोदित की गई थी। इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

— मुक्त रकबा प्रणाली पर ब्लाकों का आबंटन।

— निजी तेल कंपनियों की तुलना में राष्ट्रीय तेल कंपनियों को समान कार्य अवसर।

— राष्ट्रीय तेल कंपनियों के लिए कोई ब्लाक आरक्षित नहीं।

— राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन ओ सीज) द्वारा कोई अनिवार्य प्रतिभागिता या पहले से दिया जा रहा हित नहीं।

— की गई खोजों के लिए तेल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य।

— हस्ताक्षर, उत्पादन/खोज बोनस का भुगतान नहीं।

— कोई सीमा शुल्क नहीं।

— घरेलू बाजार में बाजार से संबंधित मूल्यों पर कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस बेचने की स्वतंत्रता।

— कच्चे तेल के उत्पादन पर कोई उपकर नहीं।

— यथामूल्य आधार पर रायल्टी का भुगतान।

* भूस्थित कच्चे तेल के लिए 12.5 प्रतिशत।

* अपतटीय कच्चे तेल के लिए 10 प्रतिशत।

* तटीय और अपतटीय दोनों पर प्राकृतिक गैस पर 10 प्रतिशत।

— वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ होने के बाद पहले सात वर्षों के लिए गहरे अपतटीय ब्लाकों से उत्पादन पर रायल्टी की आधी दर।

— पेट्रोलियम कर संहिता लागू की जाएगी।

— हाइड्रोकार्बन विकास निधि के लिए प्रावधान।

इसके अलावा, सरकार ने अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र को बुनियादी सुविधाओं का दर्जा दे दिया है, जो 7 वर्ष के लिए कर से छूट प्रदान करता है।

नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के पहले दौर के अंतर्गत बोली के लिए 48 ब्लाक प्रदान करने का प्रस्ताव है। इन ब्लाकों की भूगर्भीय आंकड़ों सहित विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर पहचान की गई है।

कच्चे तेल के नये भंडार

1205. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ओ०जी०सी० तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा देश में कच्चे तेल के नये भंडारों का पता लगाने तथा उनसे तेल निकालने का कार्य किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 से मार्च 1998 के अंत तक देश में किन-किन स्थानों पर तेल के भंडारों का पता लगाने का कार्य किया गया था;

(ग) इनमें से कितने स्थानों पर तेल के नये भंडारों का पता लगाने में सफलता मिली; और

(घ) पता लगाये गये नये तेल भंडारों से कितना तेल प्राप्त किया जाना है और यह कार्य कहां-कहां प्रारंभ हो गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) ओ एन जी सी देश में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और उत्पादन में रत है। आई ओ सी भी कुछ विदेशी कंपनियों और ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड के साथ सहयोग करते हुए नए अन्वेषण और उत्पादन व्यावसायिक कार्यों में लगा है।

(ख) तेल और गैस के नए भंडारों का पता लगाने के लिए 1995—98 के दौरान पश्चिमी और पूर्वी अपतट व असम, अरूणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में भूकंपीय सर्वेक्षण और वेधन कार्यकलाप आरंभ कर दिए गए है।

(ग) और (घ) असम, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और पश्चिमी अपतट में 1995—98 के दौरान 24 स्थानों पर तेल के नए भंडार पाए गए है। इन नई खोजों का अनुमानित भंडार (आरंभिक स्थानिक तेल) लगभग 43 एम एम टी है। कुछ नई खोजों का अभी भी मूल्यांकन किया जा रहा है।

कच्चे तेल के भंडारों का सर्वेक्षण

1206. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कच्चे तेल के भंडार की कुल मात्रा की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब कराया गया था और उक्त सर्वेक्षण के अनुसार देश में पेट्रोलियम का कुल कितना भंडार होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने इन भंडारों का भरपूर दोहन करने के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम तय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत वर्षों में कुल आकलित भंडार का प्रति वर्ष औसतन कितने प्रतिशत उत्पादन किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सर्वेक्षण, अन्वेषण, हाइड्रोकार्बन भंडारों का स्थान निर्धारण, नए क्षेत्रों की खोज तथा खोजे गए क्षेत्रों से उत्पादन एक सतत एवं जारी रहने वाली प्रक्रिया है। कच्चे तेल भंडार प्रत्येक वर्ष सामान्यतः 31 मार्च को नवीनतम निवेशों पर आधारित खोजों तथा अभिवृद्धियों के आधार पर अद्यतन किए जाते हैं। भारत के तेल एवं तेल समकक्ष गैस के भंडार 01 अप्रैल, 1998 को 1459 मिलियन टन अनुमानित किए गए थे। वर्ष 1997-98 के दौरान तेल एवं गैस के स्थानिक अनुमानित भंडारों का 4.1 प्रतिशत उत्पादन किया गया था।

Funds released to Assam for rural development

1207. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of funds released by Government of Assam for the development of rural areas during the last three years, till date; and

(b) the steps being taken by Government to release more funds to Assam for the development of rural and tribal areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) Jawahar Rozgar Yojana (JRY), Employment Assurance Scheme (EAS), Million Wells Schemes (MWS), Indira Awaas Yojana (IAY), Integrated Rural Development Programme (IRDP), Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA), Training of Rural Youth for Self Employment (TRYSM), Supply of Improved Toolkits to Rural Artisans (SITRA), National Social Assistance Programme (NSAP), Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) are the major rural development programmes being implemented in Assam. The details of funds released by